

## विधि विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 04 फरवरी, 2025

**संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-37/2024-लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को दिनांक 03-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,  
प्रधान सचिव (विधि)।

### हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2024

#### धाराओं का क्रम

#### धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 15,85,69,18,458 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

#### अनुसूची।

2025 का अधिनियम संख्यांक 15.

### हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 03 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2014-2015 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2024 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹15,85,69,18,458 की और राशि प्राधिकृत करना.—हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹15,85,69,18,458 (एक हजार पांच सौ पचासी करोड़, उनहतर लाख, अठारह हजार, चार सौ अठ्ठावन रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.—इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2014-2015 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

### अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	संचित निधि पर प्रभारित ₹	कुल ₹
01	विधान सभा (राजस्व) (पूजीगत)	— 1,80,000	46,530 —	46,530 1,80,000
02	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	12,91,255	—	12,91,255
06	आबकारी और कराधान (राजस्व)	1,56,59,480	—	1,56,59,480
10	लोक निर्माण सड़क, पुल एवं भवन (राजस्व)	—	92	92
11	कृषि (राजस्व)	10,87,59,570	—	10,87,59,570
12	बागवानी (राजस्व)	4,10,38,690	—	4,10,38,690
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई (राजस्व)	4,74,06,63,337	—	4,74,06,63,337
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (पूजीगत)	2,39,90,094	—	2,39,90,094
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राजस्व) (पूजीगत)	— 47,30,313	1,00,000 —	1,00,000 47,30,313
23	विद्युत विकास (राजस्व) (पूजीगत)	1,25,41,978 24,80,99,000	— —	1,25,41,978 24,80,99,000
29	वित्त (राजस्व) (पूजीगत)	— —	99,14,04,553 9,66,82,93,014	99,14,04,553 9,66,82,93,014
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	—	1,20,552	1,20,552
	<b>कुल (राजस्व)</b>	<b>4,91,99,54,310</b>	<b>99,16,71,727</b>	<b>5,91,16,26,037</b>

	(पूँजीगत)	27,69,99,407	9,66,82,93,014	9,94,52,92,421
	कुल जोड़	5,19,69,53,717	10,65,99,64,741	15,85,69,18,458

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) ACT, 2024**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

*Sections :*

1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of ₹ 15,85,69,18,458 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2014-2015.
3. Appropriation.

**THE SCHEDULE.**

**Act No. 15 of 2025.**

**THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 03RD FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

*to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2014-2015 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 3) Act, 2024.

**2. Authorisation of a further sum of ₹15,85,69,18,458 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2014-2015.**— From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 15,85,69,18,458 (One thousand five hundred eighty five crore, sixty nine lakh, eighteen thousand, four hundred fifty eight rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid

and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2014-2015 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

**3. Appropriation.**—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2014-2015.

**THE SCHEDULE**  
(See sections 2 and 3)

1 Demand No.	2 Services and purposes		3		
			Sums not exceeding		Total ₹
			Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	
01	Vidhan Sabha	(Revenue)	—	46,530	46,530
		(Capital)	1,80,000	—	1,80,000
02	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	12,91,255	—	12,91,255
06	Excise and Taxation	(Revenue)	1,56,59,480	—	1,56,59,480
10	Public Works-Roads, Bridges and Buildings	(Revenue)	—	92	92
11	Agriculture	(Revenue)	10,87,59,570	—	10,87,59,570
12	Horticulture	(Revenue)	4,10,38,690	—	4,10,38,690
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	4,74,06,63,337	—	4,74,06,63,337
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Capital)	2,39,90,094	—	2,39,90,094
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue)	—	1,00,000	1,00,000
		(Capital)	47,30,313	—	47,30,313
23	Power Development	(Revenue)	1,25,41,978	—	1,25,41,978
		(Capital)	24,80,99,000	—	24,80,99,000
29	Finance	(Revenue)	—	99,14,04,553	99,14,04,553
		(Capital)	—	9,66,82,93,014	9,66,82,93,014
31	Tribal Development	(Revenue)	—	1,20,552	1,20,552
	<b>Total</b>	<b>(Revenue)</b>	<b>4,91,99,54,310</b>	<b>99,16,71,727</b>	<b>5,91,16,26,037</b>
		<b>(Capital)</b>	<b>27,69,99,407</b>	<b>9,66,82,93,014</b>	<b>9,94,52,92,421</b>
	<b>Grand Total</b>		<b>5,19,69,53,717</b>	<b>10,65,99,64,741</b>	<b>15,85,69,18,458</b>